न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री बचनाराम

जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा पुत्र श्री किशनाराम

जाति जाट नि. टापरवाड़ा

मुकदमा नं. 16 / 2017 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम टापरवाड़ा खसरा नम्बर 61 1.70 है॰, 63 0.50 है॰ कुल रकबा 2.20 हैक्टर किस्म सिवायचक बा॰4 (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री बचनाराम पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट निवासी टापरवाड़ा (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाजरा, ग्वार, मूंग बोकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। उक्त दोनों ख.नं. पर बोई गई फसल की स्वीकारोक्ति की गई। फसल कुर्क एवं फसल निलामी हेतु I.R. रि॰ को आदेशित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम टापरवाड़ा ख.न. 61, 63 कुल रकबा 2.20 है॰ किस्म सिवायचक बा॰4 पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बा॰, ग्वार, मूंग फसल बोकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है॰ का 50 गुणा रूपया 33-00 रू॰ (रूपये तेतीस रू॰ जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है। फसल निलामी - कैलाशपुरी पुत्र मोतीपुरी गोस्वामी सा॰ टापरवाड़ा 2600/- निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रि॰ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला - नागौर (राज॰)